न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 3/2019
निर्णय दिनांकः— 11.01.2021

उनवान

1.चरतलाल पुत्र श्री रामकरण जाति मीना निवासी रामनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2.जसोदा पुत्री श्री रामकरण जाति मीना निवासी रामनगर तहसील उनियारा जिला टोंक

—प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

— प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थीगण
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 27 ख0न0 19 रकबा 0.68, ख0न0 24 रकबा 1.82, ख0न0 73 रकबा 1.73, ख0न0 114 रकबा 1.09, खाता संख्या 32 ख0न0 28 रकबा 0.56, ख0न0 77 रकबा 3.00 है0 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 23 ख0न0 23 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम रूघनाथपुरा तथा खाता संख्या 23 ख0न0 117 रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम रमजानगंज तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी न0 1 का सही व वास्तविक नाम चरतलाल व प्रार्थीया न0 2 का नाम जसोदा है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड खाता संख्या 23 ग्राम रूघनाथपुरा, फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड , ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि मे है। परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 27 व 32 ग्राम रामनगर व खाता संख्या ग्राम रमजानगंज में प्रार्थी न0 1 का नाम सहवन से किसी स्थान पर चतरलाल व किसी स्थान पर चतरालाल एवं प्रार्थीया न0 2 का नाम यशोदा अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी न0 1 का सही नाम चरतलाल व प्रार्थीया न0 2 का नाम जसोदा है। राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात जमाबन्दी खाता संख्या 27 व 32 ग्राम रामनगर व खाता संख्या 23 ग्राम रमजानगंज मे प्रार्थी न0 1 का नाम चतरलाल व चतरालाल के स्थान पर चरतलाल व एवं प्रार्थीयां न0 2 का नाम यशोदा के स्थान पर जशोदा अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार है। उपलब्ध दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड , राशन कार्ड जमाबन्दी स्वीकार है। प्रकरण मे चतरलाल, चतरालाल के स्थान चरतलाल व यशोदा के स्थान पर जशोदा किया जाना स्वीकार है।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075--2078 खाता संख्या 32 वाके ग्राम रामनगर ख0न0 28 व 77 कुल किता 2 कुल रकबा 3.56 है0 मे प्रार्थीगण का नाम चतरलाल व यशोदा अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2075--2078 खाता संख्या 27 वाके ग्राम रामनगर ख0न0 19, 24, 73, 98, 114 कुल किता 5 कुल रकबा 5.67 है0 मे प्रार्थीगण का नाम चतरलाल व यशोदा अंकित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075--2078 खाता संख्या 23 वाके ग्राम रमजानगंज ख0न0 117 रकबा 0.64 है0 मे प्रार्थी न0 1 का नाम चतरालाल अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति आधार कार्ड,, राशन कार्ड व फोटो पहचान पत्र मे प्रार्थी न0 1 का नाम चरतलाल व आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड मे प्रार्थीया न0 2 का नाम जसोदा अंकित है। नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने जवाब मे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने मे अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रेकार्ड खाता संख्या 27 व 32 वाके ग्राम रामनगर व खाता संख्या 23 ग्राम रमजानगंज तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज प्रार्थी न0 1 का नाम चतरलाल व चतरालाल के स्थान पर चरतलाल व प्रार्थीया न0 2 का नाम यशोदा के स्थान पर जशोदा दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थीगण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

(सुश्री रजनी [illegible])

उनियारा

उपखण्ड अधिकारी उनियारा